न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 115/2017

बउनवान

कैलाश पुत्र श्री मांगीलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रारोती, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्द पंचोली, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 28.09.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 16.01.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रारोती तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 363 रकबा 0.64 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 320 /– रूपये अर्थदण्ड एवं उक्त आराजी से बेदखल कर फसल जप्ती के आदेश से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये अपीलांट की अनुपस्थिति में एक तरफा उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नही है, एवं कोई सरकारी तावान बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक [illegible] है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय [illegible] किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:54 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण [illegible] किया जाकर रेस्पोंडेंट [illegible] जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभि[illegible] तलब किया गया। [illegible] प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किये जाने में त्रुटि की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित किये गये जुर्माने की राशि जमा करवा दी है, तथा उक्त आराजी पर कोई कब्जा नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.01.2017 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित आराजी पर सरसो की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है, अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। पटवारी रिपोर्ट पटवार मण्डल मण्उल सम्बलपुर के आधार पर अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित आराजी पर सरसों की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 33/2017 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:54 IST
Reason: SelfAttested